

राजस्थान-सरकार  
कृषि आयुक्तालय, राजस्थान, जयपुर


क्रमांक एफ02(3)(ब)4339 / आ0कृ0 / 9063-9162

दिनांक : 05/2/16

परिपत्र

आयुक्तालय के आदेश क्रमांक 5983-6324 दिनांक 15.10.2015 के तहत विभाग में कार्यरत अकृषि योग्यताधारी कृषि पर्यवेक्षकों को कृषि योग्यताधारी के समान चयनित वेतनमान स्वीकृत कर तदानुसार भुगतान किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई थी।

अतः समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि आपके कार्यालय में जिन अकृषि योग्यताधारी कृषि पर्यवेक्षकों को उक्त आदेश के तहत भुगतान बकाया है तो उनको शीघ्र भुगतान कर भुगतान की सूचना आयुक्तालय को अविलम्ब भिजवाना सुनिश्चित करें।



( सोमेन्द्र शर्मा )


संयुक्त निदेशक कृषि (प्रशासन)

दिनांक : 05/2/16

क्रमांक एफ02(3)(ब)4339 / आ0कृ0 / 9063-9162

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निदेशक, जल ग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण जयपुर।
2. निदेशक, राज्य कृषि प्रबन्ध संस्थान दुर्गापुरा जयपुर।
3. वित्तीय सलाहकार कृषि विभाग जयपुर।
4. अतिरिक्त निदेशक उद्यान मुख्यालय।
5. समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद.....।
6. समस्त खण्डीय संयुक्त निदेशक कृषि .....।
7. परियोजना निदेशक सी.ए.डी. कोटा।
8. उप निदेशक कृषि (विस्तार) इ.गा.न.प. बीकानेर।
9. समस्त उप निदेशक कृषि (विस्तार) जिला परिषद .....।
10. समस्त उप निदेशक कृषि (शष्प) एटीसी.....।
11. समस्त उप/सहायक निदेशक उद्यान.....।
12. समस्त सहायक निदेशक कृषि (विस्तार).....।



( सोमेन्द्र शर्मा )

संयुक्त निदेशक कृषि (प्रशासन)